ग्राम पंचायत दाड़ला, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के
लेखों काअंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दाड़ला, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

(i) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत दाड़ला में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती रेखा कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री ओम प्रकाश	01.04.2022 से 06.04.2023
2.	श्रीमती रजनी कुमारी	06.04.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दाड़ला, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4 (5)	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्त शेष में अन्तर पाया जाना	0.60
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	22.66
3	7.1 (क)	पंचायत राजस्व/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.03
4	7.2	दुकानों के किराये का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.09
5	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.06
6	8.1	रॉयल्टी की वसूली न करना	0.51
7	8.2	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.10
8	9.1	अनुदान (प्लानिंग) शीर्ष से किये गये निर्माण कार्य हेतु अधिक भुगतान करना	0.04
9	9.2	15वें वित्तायोग शीर्ष से किये गए निर्माण कार्य हेतु अधिक भुगतान करना	0.03
10	9.3	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.37

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/17 से 31/03/18

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1	पैरा-3	निर्णीत।	अंकेक्षण शुल्क, राशि माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 74 ₹5400/- की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 000103 दिनांक 17.12.2018 द्वारा कर ली गई है।
2	पैरा-4	निर्णित।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
3	पैरा-5	निर्णित।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

4	पैरा-5.1	अनिर्णीत।	
5	पैरा-5.2	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 5.3	अनिर्णीत।	
7	पैरा-5.4	अनिर्णीत।	
8	पैरा-6	अनिर्णीत।	
9	पैरा-7	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुन: प्रारूपित।
10	पैरा-8	अनिर्णीत।	
11	पैरा-9	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 में पुन: प्रारूपित।
12	पैरा-10	अनिर्णीत।	
13	पैरा-11	अनिर्णीत।	
14	पैरा-12	अनिर्णीत।	
15	पैरा-13	अनिर्णीत।	
16	पैरा-14	अनिर्णीत।	
17	पैरा-15	अनिर्णीत।	
18	पैरा-16	अनिर्णीत।	
19	पैरा-17	अनिर्णीत।	
20	पैरा-18	अनिर्णीत।	
21	पैरा-19	अनिर्णीत।	
22	पैरा-20	अनिर्णीत।	
23	पैरा-21	अनिर्णीत।	
24	पैरा-22	अनिर्णीत।	
25	पैरा-23	अनिर्णीत।	
26	पैरा-24	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत दाड़ला, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.04.2024 से 18.04.2024 तक ग्राम पंचायत दाड़ला के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	11/2022
2023-24	03/2024	02/2024

<u>अस्वीकरण (Disclaimer)</u> :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दाड़ला, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13/2024 दिनांक 18/04/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत दाड़ला द्वारा पंजाब नैशनल बैंक सुजानपुर, ड्राफ्ट संख्या XAE643017 दिनांक 19/04/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत दाड़ला द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02/2024 दिनांक 08.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान छः रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित), अनुदान (प्लानिंग शीर्ष), स्वच्छ भारत मिशन, 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग व मनरेगा का रख-रखाव किया गया था।

(1) (क) स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) :-

ग्राम पंचायत दाड़ला, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिमशेष (5-6)
2022-23	309416.65	252344.46	561761.11	208336.37	353424.74
2023-24	353424.74	196039.42	549464.16	208858.53	340605.63

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत दाड़ला, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2022-23	1243419.60	15238668.78	16482088.38	12269062.78	4213025.60
2023-24	4213025.60	3560698.38	7773723.98	5848469.38	1925254.60

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2021-22	1552836.25	15491013.24	17043849.49	12477399.15	4566450.34
2022-23	4566450.34	3756737.80	8323188.14	6057327.91	2265860.23

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत दाड़ला, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

शीर्ष	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
स्व: स्त्रोत व अनुदान	PNB Sujanpur	890000105042360	248458.82
अनुदान (Planning)	PNB Sujanpur	890000105042351	471000.12
15वां वित्तायोग	HDFC Sujanpur	50100349359404	478452.30
आदि शिव धाम	HDFC Sujanpur	50100558401370	92146.81
स्वच्छ भारत मिशन	HDFC Sujanpur	50100520266580	2510.00
स्वच्छ भारत मिशन	HDFC Sujanpur	50100607103632	912889.00
14वां वित्तायोग	HDFC Sujanpur	50100312798183	253.00
14वां वित्तायोग	HDFC Sujanpur	50100519694431	131.60
		योग	**2205841.65**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	**0.00**
		योग (1+2)	**2205841.65**

(3) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत दाड़ला के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खाते में अन्तर राशि ₹60018.58 था :-

1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	340605.63
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	1925254.60
3)	दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	**2265860.23**
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष	2205841.65
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	0
	योग (4+5)	2205841.65
	अन्तर (3-6)	**60018.58**

(4) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 और 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय-व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थीं | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(5) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंत शेष में ₹0.60 लाख का अंतर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण दिनांक 31.03.24 को अनुदान (प्लानिंग) शीर्ष और 15वां वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही एवं बैंक के अंतिम शेष में राशि ₹60018.58 का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10/2024 दिनांक 10/04/2024 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 09 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर राशि की जांच करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02/2024 दिनांक 08.04.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा पत्र संख्या 11 दिनांक 18/04/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार पंचायत की अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था |

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम

11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6. अनुदान

6.1 अनुदान ₹22.66 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02/2024 दिनांक 08.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"क")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹2265860.23** की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः शेष अनुदान राशि बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्तिथि स्पष्ट करते हुये उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02/2024 दिनांक 08.04.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 11 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिये जाएंगे | अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02/2024 दिनांक 08.04.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 11 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही

हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है।

यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता |

अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं उन्हें अपेक्षित उद्देश्य हेतु ही व्यय किया गया है अथवा नहीं। अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी |

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02/2024 दिनांक 08.04.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 11 दिनांक 18/04/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना सलंग्न (**परिशिष्ट "ख"**) का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत के पक्ष में दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व / गृहकर राशि ₹3200/- वसूली हेतू शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	757	50	0	37850	37850	36900	950
2023-24	757	50	950	37850	38800	35600	3200

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था |

अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 दुकानों के किराये के रूप में ₹0.09 लाख की वसूली हेतु शेष :-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02/2024 दिनांक 08.04.2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 09 दिनांक 18/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि उपलब्ध करवाई गई सूचना सलंग्न (**परिशिष्ट "ग"**) अनुसार दिनांक 31.03.24 तक दुकानों के किराये के रूप में राशि ₹9000/- वसूली हेतू शेष थी।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	0	7500	7500	7000	500
2022-23	500	12000	12500	3500	9000

अतः दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की वसूली न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की अविलम्ब वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए |

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹5950/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न (परिशिष्ट "घ")** में दिया गया है।

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12/2024 दिनांक 12.04.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 09 दिनांक 18/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को उक्त नियम प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसे शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.51 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 11/2022 व 2/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न (परिशिष्ट "ङ")** अनुसार राशि ₹50503.86/- का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/2024 दिनांक 18/04/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/09 दिनांक 18/04/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है, जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अत: राशि ₹50503.86 के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में **₹**250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 11/2022 और 02/2024 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **सलंग्न परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹513172/-** (जी.एस.टी. को छोड़कर) भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹10263.44/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

क्रम संख्या	**चयनित माह**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**	**योग (₹)**	**जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)**
1	11/2022	Mast Ram Supplier Vill-Tikkar	रेत, बजरी, ढुलाई, इत्यादि	252178	252178	**5043.56/-** (2% x 252178)

2	02/2024	Surender kumar Supplier, vill- Ropa	रेत, बजरी, पत्थर,और ढुलाई इत्यादि	260994	260994	**5219.88** (2% x 260994)
	योग				**513172**	**10263.44**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15/2024 दिनांक 18/04/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GP/09 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ₹10263.44/-जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो/व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) से करवाए गये निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री, सीमेंट को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 11/2022 व 02/2024 में **अनुदान (प्लानिंग)** शीर्ष से करवाए गए निम्नानुसार निर्माण कार्य के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जाँच दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री, सीमेंट को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹3739.30** का अधिक भुगतान किया गया था :-

(क) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण सम्पर्क मार्ग अमर सिंह के घर से नरेंद्र सिंह के घर तक :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	सीमेंट
19616, 76,77,78	CC 1:2:4	13.16	(13.16 x 6.40) = 84.22
	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा		95
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**10**

	क्रय दर	373.93 प्रति बैग
	अधिक भुगतान (10 x 373.93) बैग	**3739.30/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17/2024 दिनांक 18/04/2024 की अनुपालना में पत्र संख्या 09 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक राशि ₹3739.30 के भुगतान की वसूली हेतु (रसीद No–15596) काट ली गई है, जिसके इन्द्राज व जमा दिनांक 06.05.24 द्वारा करके रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 107 की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

अतः इस तरह के मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कदम उठाये जायें।

9.2 15वें वित्तायोग शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्य हेतु ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित मास 11/2022 व 02/2024 में निम्न विवरणानुसार 15वें वित्तायोग शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जाँच दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा शटरिंग के रूप में **₹3000/-**का अधिक भुगतान किया गया था, ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के लिए आमंत्रित उद्धरण (Quotation) के आधार पर शटरिंग की भुगतान राशि ₹10/- प्रति वर्ग फुट निर्धारित हुई थी, परन्तु ग्राम पंचायत ने शटरिंग का भुगतान ₹15/- प्रति वर्ग फुट से किया था :-

(क) निर्माण कार्य का नाम : C/O Plastic Waste Storage Unit in GP Darla :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (in Sq. Ft.)	दर (per Sq. Ft.) (₹)	राशि (₹)
19616, 74	Providing and fixing form work	600	15	9000
निर्धारित भुगतान दर (as per Quotation rate)		600	**10**	6000
अंतर		-	**05**	-
अधिक भुगतान		600	05	**3000/-**

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20/2024 दिनांक 18/04/2024 जारी की गई, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 09 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक राशि ₹3000/- के भुगतान की वसूली हेतु (रसीद

No–15597) काट ली गई है, जिसके इन्द्राज व जमा दिनांक 06.05.24 द्वारा करके रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 107 की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

अतः इस तरह के मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कदम उठाये जायें।

9.3 राशि ₹01.37 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 11/2022 व 02/2024 में विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए प्रस्तुत बिलों के अन्तर्गत निम्नानुसार **₹136581/-** का भुगतान किया गया था, जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19/2024 दिनांक 18/04/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या G.P/09 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी :-

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**माह**	**कार्य का नाम**	**बिल संख्या व दिनांक**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	SBM	02/24	Panchvati Park Miharpur	479 25/12/23	Bricks	106800
2	GIA (Planning Head)	02/24	Ambulance Road Miharpur	68 12/01/24	Cement	14893
3	GIA (Planning Head)	02/24	Ambulance Road Miharpur	96 26/02/24	Cement	14888
					योग	**136581**

अतः नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03/2024 दिनांक 08.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 10 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)

अतः अब नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02/2024 दिनांक 08.04.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 11 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा

नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

3106 – 3110 का०/प्रति 02 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)74/2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत दाड़ला, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0–177028 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का०/प्रति

ANNEXURE - (क) पैरा संख्या '4' में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत दाडला, विकास खण्ड सुजानपुर,जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश					
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक					
स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) :-					
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2022-23	309416.65	252344.46	561761.11	208336.37	353424.74
2023-24	353424.74	196039.42	549464.16	208858.53	340605.63

अनुदान :-					
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2022-23	1243419.60	15238668.78	16482088.38	12269062.78	4213025.60
2023-24	4213025.60	3560698.38	7773723.98	5848469.38	1925254.60

संकलित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2021-22	1552836.25	15491013.24	17043849.49	12477399.15	4566450.34
2022-23	4566450.34	3756737.80	8323188.14	6057327.91	2265860.23

सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड सुजानपुर
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत दाडला, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	37850	37850	36900	950
2023-24	950	37850	38800	35600	3200

Secretary
Gram Panchayat Darla
Dev. Office Sujanpur Tihra,
Distt. Hamirpur (H.P.)

(19)

परिशिष्ट "ग" पैरा संख्या 7.2 में सदर्भित

List of outstanding Shop Rent period 04/2022 to 03/2024 in r/o Gram Panchayat- Darla, Block Sujanpur

Sr. No.	Shop No	Name of Tenant	Year	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	CLOSING BALANCE
1	1	Anil Kumar	2022-23	0	6000	6000	6000	0
			2023-24	0	6000	6000	3500	2500

List of outstanding Shop Rent period 04/2022 to 03/2024 in r/o Gram Panchayat- Darla, Block Sujanpur

Sr. No.	Shop No	Name of Tenant	Year	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	CLOSING BALANCE
1	2	Tara Chand	2022-23	0	1500	1500	1000	500
			2023-24	500	6000	6500	0	6500

सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड सुजानपुर
जिला हमीरपुर

परिशिष्ट "छ" पैरा संख्या 7.3 में संदर्भित

विवाह पंजीकरण सूचि, 04/22 से 03/24 ग्राम पंचायत दाडला, विकास खंड सुजानपुर, जिला हमीरपुर,							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी	प्राप्त राशि	बकाया राशी
1	अजय कुमार S/O पूरण चन्द	14/04/2022	4/22/2022	15654	50	50	0
2	सुनील कुमार S/O रमेश चन्द	4/21/2022	4/27/2022	15655	200	200	0
3	मनु शर्मा S/O देश राज	4/19/2022	5/2/2022	15657	200	200	0
4	विशाल बडबाल S/O राजेंदर सिंह	4/23/2022	5/7/2022	15658	200	200	0
5	रोहित ठाकुर S/O राकेश कुमार	5/10/2022	5/17/2022	15649	200	200	0
6	तपिश डोगरा S/O चंदर दीप डोगरा	5/2/2022	6/18/2022	15671	400	400	0
7	विकाश सदयाल S/O देश राज	7/7/2022	7/15/2022	15672	200	200	0
8	अंकुश कुमार S/O संजय	6/21/2022	7/16/2022	15673	200	200	0
9	विकाश ठाकुर s/O जगरूप चन्द	7/24/2022	8/10/2022	15674	200	200	0
10	हरदीप सिंह s/O बलवंत सिंह	8/10/2022	8/12/2022	15675	50	50	0
11	रमेश चन्द s/O छजू राम	9/23/1998	10/13/2022	15691	200	200	0
12	कमलदीप राना s/O बिधि चन्द	9/27/2022	10/14/2022	15690	200	200	0
13	कपिल मन्हास s/O दलेर सिंह	9/26/2022	10/14/2022	15699	200	200	0
14	सुमित कुमार s/O दलीप सिंह	12/4/2022	12/9/2022	15700	200	200	0
15	दिनेश कुमार s/O दलीप चन्द	9/26/2022	12/9/2022	15514	400	400	0
16	आशीष शर्मा s/O वीरेंदर वर्मा	12/8/2022	12/15/2022	15518	200	200	0
17	अभिषेक पथ्यर्च s/O हरीश कुमार	12/4/2022	12/15/2022	15517	200	200	0
18	साहिल मेहरा s/O गगन सिंह	12/7/2022	12/20/2022	15521	200	200	0
19	सुमित शर्मा s/O सवरूप चन्द	12/4/2022	12/20/2022	15522	200	200	0

20	राजीव कुमार s/O सन्देश चन्द	12/9/2022	12/22/2022	15525	200	200	0
21	नवीन जसवाल s/O प्रवीण कुमार	12/7/2022	12/23/2022	15526	200	200	0
22	विशाल डोड s/O महेंदर सिंह	1/30/2023	2/16/2023	15535	200	200	0
23	मनीष कुमार s/O रणवीर सिंह	2/6/2023	2/17/2023	15536	200	200	0
24	चंकित चंदेल s/O चत्तर सिंह	12/8/2023	12/21/2023	15537	400	400	0
25	सोहित ठाकुर s/O महेंदर सिंह	2/22/2023	2/22/2023	15538	200	200	0
26	जितेंदर सिंह राना s/O गगन सिंह	2/22/2023	3/1/2023	15539	50	50	0
27	राहुल s/O ओंकार चन्द	2/17/2023	3/2/2023	15540	200	200	0
28	विशाल ठाकुर s/O पूरण चन्द	3/9/2023	3/21/2023	15543	200	200	0
29	नितेश डोगरा s/O अश्वनी कुमार	3/9/2023	3/22/2023	15544	200	200	0
कुल राशी					**5950**	**5950**	0

Secretary
Gram Panchayat Darla
Dev. Office Sujanpur Tihra,
Distt. Hamirpur (H.P.)

22

(22)

परिशिष्ट "ड." पैरा संख्या 8.1 में सदंर्भित

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या/ माह	कार्य का नाम	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा(कयुविक मीटर)मे	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	दर प्रति टन	देय रॉयलटी
1	MNREGA	333	C/O Land Dev. & Retaining Wall in the land of Meena Kumari w/o Vikram Singh Vill Matyal.	236 03/02/23	Mast Ram Supplier	Sand	4.24	1.62	6.8688	80	549.504
						Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
2	MNREGA	334	C/O Land Dev. & Retaining Wall in the land of Byasan Devi w/o Amin Chand Vill. Gagla.	237 03/02/23	Mast Ram Supplier	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	9.91	1.52	15.0632	80	1205.056
3	MNREGA	335	C/O Land Dev. & Retaining Wall in the land of Vinod Katoch s/o Purshotam Chand Vill. Miharpur.	240 03/02/23	Mast Ram Supplier	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	9.91	1.52	15.0632	80	1205.056
4	MNREGA	336	C/O Land Dev. & Retaining Wall in the land of Onkar Chand s/o Hari Chand Vill. Matyal.	241 03/02/23	Mast Ram Supplier	Sand	4.24	1.62	6.8688	80	549.504
						Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
5	MNREGA	337	C/O Cowshed in the Land of Chunki Devi w/o Hoshiyar Singh Vill. Kharsal.	270 03/04/23	Mast Ram Supplier	Sand	2.83	1.62	4.5846	80	366.768
						Agg.	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
6	MNREGA	338	C/O Land Dev. & Retaining Wall in the land of Veena Devi w/o Jameet Singh Vill. Gagla.	271 03/04/23	Mast Ram Supplier	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						Agg.	9.91	1.52	15.0632	80	1205.056
7	MNREGA	339	C/O Land Dev. & Retaining Wall in the land of Prem lata w/o Daler Singh Vill. Darlal.	258 03/04/23	Mast Ram Supplier	Sand	4.24	1.62	6.8688	80	549.504
						Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256

सचिव ... टौहरा

8	MNREGA	340	C/O Crate Wire in Panchvati Nala Vill. Miharpur.	267 03/04/23	Mast Ram Supplier	Stone	11.32	2.2	24.904	80	1992.32
9	MNREGA	356	C/O Land Dev. & Retaining Wall in the land Milap Chand Vill. Darla.	259 03/02/23	Mast Ram Supplier	Sand	2.83	1.62	4.5846	80	366.768
						Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
10	15th Fin.	29	C/O Multistorey Building in Panchvati Park Miharpur	268 15/03/23	Mast Ram Supplier	Sand	16.99	1.62	27.5238	80	2201.904
						Agg.	28.32	1.52	43.0464	80	3443.712
11	15th Fin.	30	C/O Multistorey Building in Panchvati Park Miharpur	269 18/03/23	Mast Ram Supplier	Sand	16.99	1.62	27.5238	80	2201.904
						Agg.	28.32	1.52	43.0464	80	3443.712
12	15th Fin.	8	Creation of Plastic waste Storage Unit	275 05/02/23	Mast Ram Supplier	Agg.	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
13	Gen.	78	C/O Jeepable road From Culvert to the house of Kashmir Singh Vill. Bhadriyana.	331 25/12/23	Mast Ram Supplier	Sand	16.99	1.62	27.5238	80	2201.904
						Agg.	16.99	1.52	25.8248	80	2065.984
14	Gen.	85	Repair & Restoration of Rain Damage Ambulace road Miharpur. SDF/2023/442	286 25/12/2	Mast Ram Supplier	Agg.	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
15	Gen.	87	Repair & Restoration of Rain Damage Ambulace road Miharpur. SDF/2023/441	334 25/12/2	Mast Ram Supplier	Agg.	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
16	15th Fin.	23	Creation of Plastic waste Storage Unit	430 3/5/2023	Surinder kumar supplier	Sand	4.24	1.62	6.8688	80	549.504
						Agg.	8.49	1.52	12.9048	80	1032.384
						Stone	4.24	2.24	9.4976	80	759.808
17	15th Fin.	10	Creation of Plastic waste Storage Unit	443 5/20/202	Surinder kumar supplier	Sand	4.24	1.62	6.8688	80	549.504
						Stone	2.83	2.24	6.3392	80	507.136
18	Gen.	79	C/O Jeepable road From Culvert to the house of Kashmir Singh Vill. Bhadriyana.	489 12/25/2023	Surinder kumar supplier	Stone	16.99	2.24	38.0576	80	3044.608

सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड सुजानपुर टीहरा
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

24

19	Gen.	84	Repair & Restoration of Rain Damage Ambulace road Miharpur. SDF/2023/442	468 12/25/202	Surinder kumar supplier	Sand	7.78	1.62	12.6036	80	1008.288
20	Gen.	89	Repair & Restoration of Rain Damage Ambulace road Miharpur. SDF/2023/441	492 1/12/2024	surinder kumar supplier	Sand	7.78	1.62	12.6036	80	1008.288
										योग	40403.088
										25 % पेनल्टी	10100.772
										कुल योग	50503.86

सचिव
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड ...नपुर टीहरा
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

25

25

परिशिष्ट "–च"   पैरा संख्या "8.2" में सदर्भित

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि	योग	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	11/2022	Mast Ram Supplier Vill-Tikkar	रेत, बजरी, ढुलाई,इत्यादि	252178	252178	5043.56/- (2% x 252178)
2	11/2022	Surender kumar Supplier, vill- Ropa	रेत, बजरी, , पत्थर, ढुलाई इत्यादि	260994	260994	5219.88 (2% x 260994)
				योग	**513172**	**10263.44/-**

(अमित कुमार)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा
विभाग शिमला-9

26